भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5019

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः चीन के लहसुन की बिक्री के संबंध में शिकायत

5019. श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी या शिकायत मिली है कि कई वर्षों से लगे प्रतिबंध के बावजूद इन दिनों चीन के लहसुन (जहरीला लहसुन) की भारतीय बाजार में बड़ी संख्या में बिक्री हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर मुद्दा है; और

(ग) यह किस मार्ग से भारत की सीमा पार कर भारतीय बाजारों में पहुंचा है और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) कृषि वस्तुओं के आयात को प्लांट क्वारंटीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है और प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस), फरीदाबाद द्वारा किए गए विस्तृत कीट जोखिम विश्लेषण और तदनुसार निर्यातक देशों द्वारा अपनाए गए कीट शमन उपायों के बाद वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे प्लांट क्वारंटीन स्टेशन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) वस्तुओं के आयात और उनके प्रवेश के तरीके का निरीक्षण करती हैं और प्लांट क्वारंटीन आदेश, 2003 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

चीन से आयातित लहसुन की खेपों में संगरोध महत्व के कवक एम्बेलिसिया एली और यूरोसाइटिस सेपुले के बार-बार अवरोधन के कारण, 06.09.2005 से चीनी लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीबीआईसी ने बताया है कि सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं और डीआरआई ने 2023-24 के दौरान 546 मीट्रिक टन चीनी लहसुन और 2024-25 के दौरान 507 मीट्रिक टन जब्त किया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को भी चेन्नई के बाजारों में चीनी लहसुन की बिक्री के बारे में शिकायत मिली है और उसने तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग को निगरानी और निगरानी गतिविधियों के लिए निर्देश दिया है। DA&FW के तहत सभी प्लांट क्वारंटाइन स्टेशनों को देश में चीनी लहसुन के अवैध आयात को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया गया है।

*****